

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/- ₹0 31 मई, 2015 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

यह वर्ष शीतगृहों में भन्डारित आलू के लिए बड़ा विकट वर्ष है। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती जा रही है जिनके कारण शीतगृहस्वामी चाहे अनचाहे परेशानी में फँसते जा रहे हैं। आलू के बाजार भाव काफी कम हो गए हैं। किसानों के घरों में अभी तक आलू बचा हुआ है जो कि धीरे-धीरे मण्डियों में आता जा रहा है। आलू की क्वालिटी भी दिन पे दिन खराब हो रही है परन्तु फिर भी यह बाजार भाव को कम करने में अपना पूरा कार्य कर रहा है, इस कारण शीतगृहों से आलू निकल नहीं पा रहा है और जो निकल भी रहा है उस में घाटा हो रहा है।



इसी आशय को लेकर आगरा में एसोसिएशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिस का विवरण हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी सूचना के अनुसार मीटिंग के बाद भी शीतगृहस्वामियों ने अपने यहाँ भन्डारणकर्ताओं को आमन्त्रित किया और उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दी। यह सुझाव दिया कि वह अपने आलू का निस्तारण शीघ्र-अति-शीघ्र करें परन्तु अभी भन्डारणकर्ता

शीतगृहस्वामी की बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि भण्डारण प्रभार और लोन के बाद भण्डारणकर्ताओं को बहुत छोटी रकम बचती दिखाई दे रही है और यदि उसके माल की गुणवत्ता कम है तो किसी भी तरह की कोई बचत का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस कारण से भण्डारणकर्ता आलू के निस्तारण के प्रति उदासीन होता जा रहा है। इस कारण से शीतगृहों में आलू का बैलेंस बढ़ता जा रहा है।

आलू की भण्डारित रहने की सीमित अवधि होने के कारण व नई फसलों के आ जाने से बाजार भाव गिर जाने के कारण, आलू की निकासी की तारीख 31 अक्टूबर तक मानी गई है, जिसे यदि बीज का आलू जोड़ लिया जाए तो 30 नवम्बर तक खींचा जा सकता है। इस प्रकार आलू शीतगृहों में रहने के दिन तो करीब-करीब निश्चित है। आलू का बड़ा हुआ बैलेंस बाजार को और गिराएगा ही जब तक कि भण्डारित आलू की कोई अतिरिक्त खपत न निकल आए जिसकी आशा कम ही लगती है।

जैसा कि हम पिछले अंक में भी कह चुके हैं कि शीतगृहस्वामी आलू का निस्तारण पूरी तरह करते रहे। पल्टाई पर पूरा ध्यान दें और जैसे भी देखे कि कोई आलू की लाट शीतगृहों में टिकने वाली नहीं है उसे अपने जिला उद्यान अधिकारी से सलाह करके तुरन्त निकालने की कोशिश करें।

भण्डारणकर्ता को सूचित कर के उसको वह लाट दिखाने में जितनी जल्दी हो सके कार्य सम्पन्न करें।

414/सी.एस.ए.27/44/2015

दिनांक : 25.5.2015

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

बन्धुवर,

विषय : शीतगृहों में भण्डारित आलू की निकासी के सम्बन्ध में

जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस समय आलू की शीतगृहों में भण्डारित मात्रा काफी ज्यादा है। इसका मुख्य कारण अच्छी फसल का होना है। यह फसल प्रायः पूरे देश में ही अच्छी रही है। अतः सारे देश में भण्डारण करीब-करीब शीतगृहों की क्षमता के बराबर हुआ है जो कि गत वर्ष शीतगृह भण्डारण से कम से कम बीस प्रतिशत अधिक है। यही नहीं काफी बड़ी मात्रा में आलू किसानों द्वारा शीतगृहों में न रखकर, अपने घरों में रोक लिया गया है, जो कि अभी तक देश की मण्डियों में धीरे-धीरे निकल कर आ रहा है।

इसके साथ दूसरी बड़ी समस्या यह है कि शीतगृहों से आलू की निकासी भी बहुत हल्की रफ्तार से हो रही है जिस कारण शीतगृहों में आलू का बैलेंस गत वर्ष के अनुपात में बढ़ता जा रहा है।

कृपया ध्यान दें कि भण्डारण के समय या उससे 15/20 दिन पहले रुक-रुक कर बारिश होती रही है, इसकी वजह से न केवल भण्डारण में विलम्ब हुआ वरन् आलू की क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क आया। इस बारिश ने न केवल आलू का रंग खराब कर दिया वरन् आलू की शीतगृहों में भण्डारित रहने की क्षमता में भी बहुत असर डाला। यह आलू, हर वर्ष के आलू की भांति, 30 नवम्बर तक भण्डारित रहना सम्भव नहीं लगता। काफी लाटों में तो भण्डारण के समय ही सड़ने, गलने की शिकायते नजर आने लगी थी।

आलू की अधिक मात्रा व कम गुणवत्ता के कारण, आलू के बाजार भाव भी काफी नीचे चले गए हैं। इस समस्या से जूझने के लिए 10 मई, 2015 को आगरा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें हमने अपने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था और सबकी राय माँगी थी।

आम राय यह थी कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सभी सदस्यों को –

1. यह अवगत कराया जाए कि आलू की भण्डारित मात्रा बहुत अधिक है।
2. आलू की शीतगृहों से निकासी काफी कम है और वह एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रही है।
3. सभी शीतगृहस्वामी अपने यहाँ भण्डारणकर्ताओं को बुलाकर इस वस्तुस्थिति से अवगत कराए और उन्हें शीघ्र-अति-शीघ्र आलू निकालने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि इस समय जो आलू के रेट चल रहे हैं, भविष्य में उनके और कम होने की उम्मीद की जाती है। यहाँ पर हम एक अलग नोटिस भी भेज रहे हैं, जिसे आप अवश्य पढ़ें और निर्धारित कार्यवाही करने की चेष्टा करें।
4. शीतगृहस्वामी अपने यहाँ छोटे दाने में भण्डारित बीज आलू पर अवश्य ध्यान दें क्योंकि भविष्य में इस आलू को बेच पाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। इन सब बातों को देखते हुए शीतगृहस्वामियों के द्वारा लोन व भण्डारण प्रभार वसूल होना कठिन कार्य बन जायेगा।

हम अपने सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वह इस आशय का पत्र अपने सभी भण्डारणकर्ताओं को भेज दें और उनके द्वारा भण्डारित आलू की स्थिति बताने की चेष्टा करें और साथ में अपने जनपद के उद्यान अधिकारी को भी सूचित करते रहे।

इस बात की काफी सम्भावना है कि सीजन के अन्त में जब आलू तेजी से खराब होना शुरू होगा, आलू के बाजार भाव नीचे आ चुके होंगे। भण्डारणकर्ता उस समय सारी जिम्मेदारी शीतगृहों

पर डालने की चेष्टा कर सकते हैं। वस्तुस्थिति की जानकारी पहले से ही दे देने की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रक्रिया के बाद यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से आलू खराब होने में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और आपने पहले ही वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया था। इस प्रक्रिया के अभाव में उद्यान विभाग भी आपको ही जिम्मेदार ठहरायेगा और कम्पेनसेशन (compensation) तय कर देगा। इस लिए आप सब अपने यहाँ पूरे भण्डारित आलू का निरीक्षण शीघ्र-अति-शीघ्र शुरू कर दें। जिन आलूओं में अभी से सड़ने गलने या अंकुरण की शिकायत शुरू हो गई हो, उनके भण्डारणकर्ताओं को तुरन्त सूचित करे और एक सूचना पत्र जिला उद्यान अधिकारी को भी भेजते रहे, जिसकी पहुँच आपके पास होना बहुत जरूरी है।

सधन्यवाद

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(महेन्द्र स्वरूप)
अध्यक्ष

संलग्नक : नोटिस

414 / सी.एस.ए.27 / 44 / 2015

दिनांक : 25.5.2015

संलग्नक :

कृपया निम्न लिखित सूचना अपने शीतगृह द्वार पर लगा दें तो आपको भविष्य में काफी कानूनी सहायता मिल सकेगी।

सूचना

भण्डारणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वह अपने द्वारा भण्डारित आलू का शीतगृह में पाक्षिक रूप से आकर स्वयं निरीक्षण करते रहे और यदि उसमें आप किसी प्रकार की खराबी पाए तो उसे तुरन्त निकालने की व्यवस्था करें।

यह सूचना विशेषतया उन भण्डारणकर्ताओं के लिए है जिनकी फसल की खुदाई से पहले, खेतों में वर्षा का पानी काफी मात्रा में भर गया था या खुदाई हो जाने के बाद आलू पानी से भीग गया था या आलू कई दिन तक धूप में पड़ा रहा। ऐसी अवस्थाओं से गुजरा हुआ आलू शीतगृहों में अधिक समय तक भण्डारित, सही दशा में, नहीं रह पायेगा।

भण्डारित आलू की इस वक्त की दयनीय दशा को देखते हुए श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, ने एक पत्र श्री डी.एन. पाण्डेय, उपनिदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ को भेजा है जिसे कि हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यह प्रयत्न शीतगृहस्वामियों व भण्डारणकर्ताओं को सचेत करने के लिए है और भविष्य में यह सबूत भी बनाने के लिए है कि हमने अपनी तरफ से सभी लोगो को भविष्य में आलू की बुरी दशा होने की सम्भावना से समय रहते अवगत करा दिया था।

दिनांक : 13.05.2015

प्रतिष्ठा में,

श्री डी.एन. पाण्डेय,

उपनिदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ

विषय : शीतगृहों में भण्डारित आलू के सम्बन्ध में

महोदय,

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आगरा में 10 मई 2015 को आयोजित बैठक में आपके पधारने एवं मार्गदर्शन के लिये हम आपका सादर आभार व्यक्त करते हैं।

जैसा कि विदित है कि इस वर्ष आलू के रिकार्ड उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश भर के शीतगृहों में पिछले वर्ष से 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक भण्डारण हुआ है, कई जिलों में तो शत-प्रतिशत तक भण्डारण हो गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश के सभी प्रदेशों के शीतगृहों में आलू का इस वर्ष बहुत अधिक भण्डारण हुआ है। भण्डारण होने के बाद भी काफी मात्रा में आलू बाहर रह गया जो मई के अंतिम सप्ताह तक खत्म हो पायेगा जिसके कारण शीतगृहों से आलू की निकासी अभी लगभग नगण्य है।

शीतगृहों में बम्पर आलू भण्डारित होने के मद्देनजर आगामी महीनों में आलू के विपणन एवं निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी जिससे किसानों को आलू का उत्पाद मूल्य एवं शीतगृहों को भण्डारण प्रभार मिलने में काफी दिक्कतें आयेंगी।

वर्तमान में आलू की दशा के चलते हम आपसे निवेदन करते हैं कि उद्यान विभाग एवं मण्डी समिति संयुक्त रूप से चिंतन कर किसानों एवं शीतगृहों की मदद कर आने वाले भीषण संकट से उभारने का प्रयास करें। उक्त 10 मई को संस्था की बैठक में हमें कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम आपके समक्ष प्रेषित कर रहे हैं।

1. इस वर्ष 31 दिसम्बर 2015 तक आलू पर मण्डी शुल्क पूर्णतः समाप्त किया जाये।
2. बंगाल और गुजरात की दर्ज पर आलू को प्रदेश से बाहर भेजने पर किसानों को उचित ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रदान की जाये।

3. किसानों के द्वारा भण्डारित आलू में जो उनके बीज की मात्रा है (लगभग 10 प्रतिशत) उसके भण्डारण प्रभार पर सरकार द्वारा पूर्ण सब्सिडी दी जाये जिससे किसान बीज की निकासी कर कम से कम इस वर्ष दुबारा आलू की बुवाई कर सके।
4. आलू की निरंतर निकासी बनाये रखने के लिये उद्यान विभाग व मण्डी समिति द्वारा व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिये।
5. उत्तर प्रदेश सरकार आलू की आमद एवं स्टॉक की जानकारीयों के लिये एक प्रभारी सूचना तंत्र बनाया जाना चाहिये जिससे समय रहते किसानों एवं शीतगृह स्वामियों को स्टॉक की सही जानकारी उपलब्ध रह सके और सही वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर किसान शीघ्र अपने आलू शीतगृह से निकाल सके।
6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू की खपत बढ़ाने के लिये प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराना चाहिये।
7. इस वर्ष आलू की खुलाई के दौरान असामायिक एवं अत्याधिक वर्षा, ओला वृष्टि, धूप, गर्मी एवं अन्य आपदाओं के कारण आलू की गुणवत्ता पर काफी विपरीत असर पड़ा है। शीतगृहों में भण्डारित आलू की मात्रा में काफी आलू दागी चुटैल एवं उपजता हुआ भण्डारित हुआ है जिसकी शीतगृह में लम्बी अवधि तक गुणवत्ता बनाये रखना मुश्किल है। इसलिये हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसे आलू की शीतगृहों से जल्द निकासी कराये जाने के लिये सभी सम्बन्धित जिलों के उद्यान अधिकारियों द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों एवं अन्य सूचनाओं के माध्यम से किसानों को जागृत करते रहें जिससे आगामी नुकसान से बचा जा सके।

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उक्त सूझावों पर आप वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श कर किसानों एवं शीतगृहों के हित में निर्णय लेने का कष्ट करेंगे। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद !

(राजेश गोयल)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

बैंकॉक में होने वाली फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की मीटिंग के सम्बन्ध में :

हम अपने फेडरेशन के सारे सदस्यों को यानि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों को व हमारे फेडरेशन से जुडी हुई अन्य प्रदेशीय एसोसिएशन के सदस्यों को बैंकॉक में होने वाली मीटिंग के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं। यह मीटिंग Manch Communications Pvt Ltd. द्वारा आयोजित की जा रही है जिस मे अन्य देशों की एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रतिनिधि सम्मिलित होने

की आशा की जा रही है जैसे चीन Pakistan, Bangladesh, Mynammar (Old Name Burma), Japan, Nepal, Thailand, इत्यादि।

यह मीटिंग Machinery Manufacturers, कम्पनियों के Stall के साथ 22/23 व 24 जुलाई, 2015 को बैंकॉक में होगी। हमने आपको पिछले माह के अंक में यह बता दिया था कि जो भी सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं वह Travel Agent, को संपर्क करें –

MR. SANJEEV BARTHWAL

Mobile : 91-99109-77117

Email : Bangkok@utourizmo.com, Website: www.UTourizmo.com

U-Tourizmo, 3F-CS-52, Ansal Plaza Mall, Vaishali

Ghaziabad-201010 (Uttar Pradesh)

और उनसे इस मीटिंग में सम्मिलित होने के नियम जान लें। यहाँ हम अपने सदस्यों को बताना चाहते हैं कि फेडरेशन के सभी सदस्यों को प्रदर्शनी में सम्मिलित होने का कोई टिकट चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए उन्हें केवल एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह फेडरेशन के सदस्य है। किसी भी प्रदेशीय एसोसिएशन के अध्यक्ष जो की फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के Member भी है सदस्यता प्रमाणित कर सकते हैं। यदि आपको यह प्रमाण पत्र पाने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो, हमें तुरन्त लिख भेजें, हम प्रमाण पत्र दे देंगे।

इस प्रमाण पत्र के साथ फेडरेशन के सदस्यों को 22.7.2015 को Impact Hotel, Bangkok में लंच भी दिया जायेगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।

हम अपने अगले अंक में इस मीटिंग का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करेंगे।

बिजली सम्बन्धी :

रेगुलेटरी सर्चार्ज के सम्बन्ध में :

अभी तक LMV6 व HV2 के उपभोक्ताओं पर करीब 2.38 Regulatory Surcharge या कुछ उसी के आस पास बिजली के बिलों में लगता था परन्तु विद्युत नियमक आयोग के एक आदेश के अनुसार यह Regulatory Surcharge 1.4.2015 से इन दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर लागू नहीं माना जायेगा। आपके संदर्भ के लिए हम Regulatory Surcharge का operative Order प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे दिखाकर आप अपनी बिजली कम्पनी से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि कई बिजली कम्पनियाँ यह सर्चार्ज अभी भी लगाए जा रही हैं।

वैसे यदि आप को नियामक आयोग को पूरा फैसला चाहिए तो आप हमें अपना ई-मेल पता भेज दीजिए, उस पर, हम आपको इस फैसले को भेज देंगे वैसे यह फैसला आप हमारी website या विद्युत नियामक आयोग की website से भी download कर सकते हैं।

BEFORE
THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW
PRESENT

1. Hon'ble Shri Desh Deepak Verma, Chairman
2. Hon'ble Smt. Meenakshi Singh, Member
3. Hon'ble Shri I.B. Pandey, Member

IN THE MATTER OF : Applicability of Regulatory Surcharges for State Distribution Licensees for FY 2015-16 as per Commissions Orders dated June 6, 2014 and October 1, 2014.

AND

IN THE MATTER OF :

1. MD, MVVNL, 4-A, Gokhale Marg, Lucknow- 226001.
2. MD, DVVNL, Urja Bhawan, 220KV Sub-Station, Mathura Bypass Road, Agra – 282007
3. MD, PVVNL, Victoria Park, Meerut – 250001.
4. MD, PuVVNL, Bhikharipur, 132 KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Work, Varanasi- 221004.
5. MD, KESCo, KESA House, 14/71 Civil Lines, Kanpur- 208001.

Order

Applicability of Regulatory Surcharge -1 for FY 2015-16

The Commission in its Tariff Order dated May 31, 2013 had approved the part recovery of the Regulatory Asset resulted on Truing-up of ARRs for FY 2000-01 to FY 2007-08 vide a Regulatory Surcharge at the rate of 3.71% which was applicable till March 31, 2014. The Commission allowed such regulatory surcharge to be recovered only from the supply areas of DVVNL, MVVNL, PVVNL and PuVVNL.

The Commission specifically mentioned that the above recovery of revenue gap through the Regulatory Surcharge @ 3.71 % approved for FY 2013-14 included only 50% of the total admitted revenue gap for the previous years (FY 2000-01 to FY 2007-08) and the balance 50% i.e. Rs. 1243.96 Crore had to be allowed to be recovered subsequently.

Further for the recovery of the balance revenue gap i.e. Rs. 1243.96 Crore the Commission in its Order dated June 6, 2014 had approved a Regulatory Surcharge of 2.84% for the four State-owned Distribution Licensees for FY 2014-15. However the Commission linked the Regulatory Surcharge applicable for FY 2015-16 with the actual Distribution Loss achieved in FY 2014-15 vis-à-vis the Distribution loss target given by the Commission for FY 2014-15.

The relevant extract of the Commission's Order dated June 6, 2014 is reproduced below for reference :

“In view of the above, the applicable Regulatory Surcharge for FY 2014-15 shall be 2.84%. However, the Regulatory Surcharge for FY 2015-16 (i.e. from 1st April, 2015 to 31st March, 2016) shall be linked with the actual performance of FY 2014-15. That is in case the Distribution Licensees fail to achieve the target Distribution Losses of FY 2014-15, the Regulatory Surcharge for FY 2015-16 shall be reduced in proportion to the losses under-achieved by the Licensees as compared to the target losses for FY 2014-15. The performance of the Distribution Licensee shall be measured from the actual distribution losses as submitted by the Licensee for FY 2012-13 in its Tariff Petition for FY 2014-15.”

The Commission in the above mentioned Order had given target losses as mentioned in FRP (Financial Restructuring Program). However subsequently in Tariff Orders for FY 2014-15 dated October 1, 2014 the Commission approved the distribution loss targets for FY 2014-15 which were different from the FRP target losses. The approved target Distribution Losses for State-owned Distribution Licensees for FY 2014-15 in Tariff Orders dated October 1, 2014 are shown in the Table below :

Table 1 : Distribution Loss Approved by the Commission for FY 2014-15.

| Distribution Licensee | Distribution Loss Target (FY 2014-15) |
|------------------------------|--|
| DVVNL | 28.00% |
| MVVNL | 21.03% |
| PVVNL | 23.00% |
| PuVNNL | 21.72% |
| KESCO | 23.00% |

The Distribution Licensees are also required to submit the applicable Regulatory Surcharge for FY 2015-16 based on the actual Distribution Losses achieved in FY 2014-15 by April 15, 2015 and in accordance with the formula prescribed by the Commission.

So far, neither the applicable Regulatory Surcharge for FY 2015-16 nor the actual Distribution Losses achieved in FY 2014-15 have been submitted by Distribution Licensees. However vide Letter No. 82 / PCL / Revenue dated March 31, 2015, UPPCL has submitted that the total Distribution Losses of the Discoms in FY 2012-13 were around 29.01% and they have been successful in reducing these losses by around 2.44% to 26.56% in FY 2013-14. It also submitted that the Ministry of Power, Government of India has fixed long term Distribution Loss reduction trajectory for the State of Uttar Pradesh, with regard to which it has undertaken various initiatives such as (1) Vidyut Chori Roko Abhiyan (VICRA Part I) : New Connection Drive, (2) VICRA Part II : Feeder wise combining abhiyan for AT&C loss reduction, (3) VICRA Part III : OTS and regularization of connections and (4) Target efforts for loss reduction for identified towns, etc. In this regard, it has submitted that the distribution losses submitted for the past period does not capture the total impact of the recent initiatives and has requested the Commission that it will submit the complete loss data for FY 2014-15 by July 2015 as the CS-3 & CS-4 reports for a financial year gets finalized by month of June-July.

Further, in the ARR / Tariff Petitions for FY 2015-16, the Licensees have submitted the estimated Distribution Loss for FY 2014-15 as shown in the Table below :

Table 2 : Estimated Distribution Loss for FY 2014-15 as submitted by Distribution

| Licensees | | |
|------------------------------|--|---|
| Distribution Licensee | Distribution Loss Target (FY 2014-15) | Estimated Distribution Loss (FY 2014-15) |
| DVVNL | 28.00% | 33.13% |
| MVVNL | 21.03% | 23.86% |
| PVVNL | 23.00% | 22.60% |
| PuVNNL | 21.72% | 24.23% |
| KESCO | 23.00% | 27.66% |

The Commission is of the view that since the actual Distribution Losses for FY 2014-15 have not yet been submitted by the Distribution Licensees and there have been various submission of the licensees reporting different loss figures in various forums, hence taking these into view, the Commission has worked out the Regulatory Surcharge applicable for FY 2015-16 based on the estimated Distribution Losses submitted by the Licensees. The applicable Regulatory Surcharge for FY 2015-16 for recovery of the balance revenue gap consequent to True up Orders dated May 21, 2013 and Tariff Orders May 31, 2013 i.e. Rs. 1243.96 Crore as per the formula prescribed in Order dated June 6, 2014 is shown in the Table below :

Table 3 : Applicable Regulatory Surcharge for recovery of the balance revenue gap consequent to True up Orders dated May 21, 2013 and Tariff Orders May 31, 2013 i.e. Rs. 1243.96 Crore

| Particulars | Formula | DVVNL | MVVNL | PVVNL | PuVVNL |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Target Distribution Losses for FY 2014-15 as approved in Tariff Orders for FY 2014-15 | A | 28.00% | 21.03% | 23.00% | 21.72% |
| Distribution Losses achieved in FY 2014-15 | B | 33.13% | 23.86% | 22.60% | 24.23% |
| Actual Distribution Losses FY 2012-13 (As Submitted by the Licensee, which is considered as base) | C | 36.56% | 24.84% | 28.16% | 25.66% |
| Regulatory Surcharge applicable for FY 2014-15 | D | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% |
| Regulatory Surcharge applicable for FY 2015-16 (Max of 2.84%) | E = D x (C-B) / (C-A) | 1.14% | 0.73% | 2.84% | 1.03% |

The summary of the Regulatory Surcharge -1 applicable for FY 2014-15 and FY 2015-16 is shown in the Table below :

Table 4 : Summary of the Regulatory Surcharge - 1 applicable for FY 2014-15 and FY 2015-16 is shown in the Table below :

| Distribution Licensee | Regulatory Surcharge -1 (Applicable for FY 2014-15) (As approved in Order dated June 6, 2014) | Regulatory Surcharge - 1 (Applicable for FY 2015-16) (As approved in this Order) |
|------------------------------|--|---|
| DVVNL | 2.84% | 1.14% |
| MVVNL | 2.84% | 0.73% |
| PVVNL | 2.84% | 2.84% |
| PuVVNL | 2.84% | 1.03% |
| KESCO | 0.00% | 0.00% |

Note : The Regulatory Surcharge for FY 2015-16 as approved in this Order would be effective from 1st April, 2015.

Applicability of Regulatory Surcharge -2 for FY 2015-16

Further, the Commission in its Tariff Orders dated October 1, 2014 approved a separate Regulatory Surcharge of 2.38% for DVVNL, MVVNL, PVVNL & PuVVNL and 2.23% for KESCO for FY 2014-15 for the recovery of approved Revenue Gap on account of True-up of ARRs for FY 2008-09 to FY 2011-12. The Commission also linked the above mentioned Regulatory Surcharge applicable for FY 2015-16 with the actual performance in FY 2014-15 i.e. in case the Distribution Licensees fail to achieve the target consumer addition or the target distribution losses in FY 2014-15, the regulatory surcharge for subsequent year i.e. FY 2015-16 shall be reduced by 10% over the applicable regulatory surcharge for the previous year (i.e. FY 2014-15).

The relevant extract of the Commission's Order for the Distribution Licensees namely DVVNL, PVVNL, MVVNL & PuVVNL, dated October 1, 2014, is reproduced below for reference :

"In view of the above, the applicable Regulatory Surcharge for FY 2014-15 shall be 2.38%. However, the Regulatory Surcharge for subsequent year shall be linked with the actual performance of the Licensees in previous year i.e. the regulatory surcharge for FY 2015-16 will depend on the performance of the Licensees in FY 2014-15. In case the

Distribution Licensees fail to achieve the target consumer addition or the target distribution losses in FY 2014-15, the regulatory surcharge for subsequent year i.e. FY 2015-16 shall be reduced by 10% over the applicable regulatory surcharge for the previous year (i.e. FY 2014-15).”

Further, the relevant extract of the Commission’s Order for the Distribution Licensee namely KESCO, dated October 1, 2014, is reproduced below for reference :

“In view of the above, the applicable Regulatory Surcharge for FY 2014-15 shall be 2.23%. However, the Regulatory Surcharge for subsequent year shall be linked with the actual performance of the Licensees in previous year i.e. the regulatory surcharge for FY 2015-16 will depend on the performance of the Licensees in FY 2014-15. In case the Distribution Licensees fail to achieve the target distribution losses in FY 2014-15, the regulatory surcharge for subsequent year i.e. FY 2015-16 shall be reduced by 10% over the applicable regulatory surcharge for the previous year (i.e. FY 2014-15).”

With regard to above, the Commission is of the view that the Distribution Licensees have shown its sincere efforts to the direction given by the Commission. As detailed above, the Distribution Licensees have undertaken various initiatives such as new connection drive, feeder wise loss reduction drive, OTS and regularization of connection, etc. In this regard, it is to be noted that the Commission has given consumer addition target of 35.96 lakh for FY 2014-15 to the Distribution Licensees, in compliance to which the Distribution Licensees has added around 24 lakh consumers in time period of only two months. Thus, considering the remarkable achievement of the Licensees with regard to the consumer addition target, the Commission approves the Regulatory Surcharges for FY 2015-16 at the same level as approved in the Tariff Orders for FY 2014-15 dated October 1, 2014 for the Distribution Licensees namely DVVNL, PVVNL, PuVVNL & MVVNL.

It can be seen from the above that the Commission in its Order dated October 1, 2014 have linked the Regulatory Surcharge of KESCO only to the target Distribution Losses of FY 2014-15. As may be observed from Table 2 above, KESCO has not been able to achieve the target distribution losses in FY 2014-15. Thus considering the same, the applicable regulatory surcharge for FY 2015-16 for recovery of the revenue gap approved by the Commission in its Order dated October 1, 2014 has been reduced by 10%.

The summary of the Regulatory Surcharge-2 applicable for FY 2014-15 and FY 2015-16 is shown in the Table below :

Table 5 : Summary of the Regulatory Surcharge - 2 applicable for FY 2014-15 and FY 2015-16 is shown in the Table below :

| Distribution Licensee | Regulatory Surcharge - 2 (Applicable for FY 2014-15) (As approved in Order dated Oct 1, 2014) | Regulatory Surcharge - 2 (Applicable for FY 2015-16) (As approved in this Order) |
|------------------------------|--|---|
| DVVNL | 2.38% | 2.38% |
| MVVNL | 2.38% | 2.38% |
| PVVNL | 2.38% | 2.38% |
| PuVVNL | 2.38% | 2.38% |
| KESCO | 2.23% | 2.01% |

Note : The Regulatory Surcharge for FY 2015-16 as approved in this Order would be effective from 1st April, 2015

Further, it is also worthwhile to note that due to non-performance of the Distribution Licensees (i.e. not achieving the target distribution losses for FY 2014-15) the consumers in the Licensees area of DVVNL, MVVNL, PuVVNL & KESCO are getting benefitted by lower Regulatory Surcharges for FY 2015-16. However the consumers in the Licensee area of PVVNL are not getting any benefit in spite of the fact that the losses estimated by the Distribution Licensee for FY 2014-15 is lowest among all the Distribution Licensees and are within the level as approved by the Commission in its Tariff Order for FY 2014-15 dated October 1, 2014. In this regard the Commission is of the opinion that the Distribution Licensee viz. PVVNL should reward the consumers in its Licensee area by increasing the supply hours by 10% in order to safeguard the interest of the consumers.

As detailed in by the Commission in its Orders dated June 6, 2014 and October 1, 2014, the Regulatory Surcharges reduced on account of the under-achieved performance targets shall be considered as deemed recovery. The Commission after accounting the actual recovery and the deemed recovery shall true-up the over/ under recovery of the accumulated Regulatory Surcharges while undertaking the Truing up of the relevant year.

शेष पृष्ठ 20 पर

मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के सम्बन्ध में :

बड़े हर्ष का विषय है कि सस्थापक अध्यक्ष, श्री बनवारी लाल जाजू का नागरिक अभिन्दन भव्य स्तर पर इन्दौर में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि, लोक सभा अध्यक्ष माननीया सुमित्राजी महाजन, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द सिंह तोमर एव इन्दौर महापौर श्रीमती मालीनी गौड़ इस अवसर पर मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अध्यक्ष हसमुख जैन गांधी के साथ बाबूलाल चौधरी, राधेश्याम पाटीदार, पी.डी. अग्रवाल, शक्ति सिंह, हरीश माहेश्वरी आदी अनेक गणमान्य हस्तियाँ उपस्थित थी।

श्री जाजू का कार्य मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लिए अत्यन्त सराहनीय रहा। वह वहाँ के अन्य सदस्यों के लिए बहुत बड़े प्रेरणास्रोत हैं। हमें आशा है कि श्री जाजू भविष्य में भी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश वा हमे भी अपने बहुमूल्य अनुभवों से मार्गदर्शन करते रहेंगे। यहाँ हम श्री जाजू के स्वागत समारोह पर लिये गये चित्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं।



(15) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मई, 2015

The Licensees are directed to depict the Regulatory Surcharges distinctly in the electricity bills of the consumers. The Commission directs the Licensee to maintain separate accounting fields to capture the amounts collected as Regulatory Surcharges in both of its financial and commercial statements. This would enable the Licensee to correctly report the amounts collected towards Regulatory Surcharges.

Further as in the absence of the actual distribution losses the Commission for the purpose of this Order has considered the estimated Distribution Losses for FY 2014-15 as provided in its ARR/ Tariff Petitions for FY 2015-16, the applicable Regulatory Surcharges for FY 2015-16 as worked out in this Order are provisional and subject to change based on the actual additional consumer addition and the actual distribution losses for FY 2014-15. The Distribution Licensees are directed to submit the same at the earliest.

It is to be noted that as the efforts for reduction in line losses have been mostly directed at the domestic and agriculture consumers, the revised Regulatory Surcharge-1 & Regulatory Surcharge-2 for FY 2015-16 as approved in this order, would only be applicable for the consumer of LMV-1 & LMV-5 categories only.

(I.B. Pandey)
Member

(Meenakshi Singh)
Member

(Desh Deepak Verma)
Chairman

Place : Lucknow

Dated : 22nd April, 2015

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....
.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित